

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2013/अग्रहायण 21, 1935

No. 598]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2013/AGRAHAYANA 21, 1935

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 774(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के दूरसंचार आयोग में सदस्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार आयोग (सदस्य) भर्ती नियम, 2013 है।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—3क्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित मामले उपर्युक्त अनुसूचियों के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक विनिर्दिष्ट हैं।
 - **5. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पित्री जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्री के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5205 GI/2013

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और	चयन पद है या	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए
			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	जाने वाले	जाने वाले
			वेतनमान		व्यक्तियों के	व्यक्तियों के
					लिए आयु सीमा	लिए अपेक्षित
						शैक्षिक और
						अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सदस्य	1* 2013* कार्यभार	जीसीएस समूह	80000 (नियत)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(वित्त)	के अनुसार परिवर्तन	"क " राजपत्रित				
	किया जा सकता है।	अननुसचिवीय				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या	
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत		प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन	
व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं		द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जा	
		वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्प	
		कालिक संविदा या आमेलन भी है)	

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है	वे परिस्थितियां जिनमें
श्रेणियां जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	तो उसकी संरचना	भर्ती करने के लिए संघ
		लोक सेवा आयोग से
		परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा या आमेलन भी है)	आमेलित किए जाने वाले अधिकारियों	संघ लोक सेवा आयोग
(क) वित्त एवं लेखा सेवा के ऐसे संगठित समूह " क" अधिकारी :	की पुष्टि के लिए	से परामर्श करना
(I)(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ख) जिन्होने उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड वेतन अर्थात 67000-79000 रु० + 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात न्यूनतम दो वर्ष सेवा की है; और (II) केन्द्रीय या राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार के संगठनों में वितीय योजना, कार्यक्रमण , बजटिंग, प्रचालन, लेखा, रिर्पोटिंग या लेखा परीक्षण के क्षेत्रों में 20 वर्ष का कार्यसाधक अनुभव; या	समूह "क " विभागीय प्रोन्नित समिति की संरचना :— 1. मंत्रिमंडल सचिव —अध्यक्ष 2.प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव —सदस्य 3. गृह सचिव —सदस्य 4. सचिव (कार्मिक), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग — सदस्य 5. सचिव, दूरसंचार विभाग —सदस्य	आवश्यक है।

- (खख) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अर्ध-सरकारी (कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों या मान्यताप्राप्त अन्संधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारीः
- (l)(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सहश पद धारण किए ह्ए है; या
- (ख) जिन्होने उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड वेतन अर्थात 67000-79000 रु० + 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि या समतुल्य में नियमित आधार पर निय्क्ति के पश्चात न्यूनतम दो वर्ष सेवा की हो ; और
- (II) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :- आवश्यक अर्हताएं :
- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य में मास्टर डिग्री(एम कॉम)/व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री(एमबीए) या वित में विशेषज्ञता सिहत व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री

अथवा

- (ख) इंस्टीटयूशन ऑफ चार्टर्ड एकांउटेंसी या इंस्टीटयूट ऑफ कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई) या इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएफएआई) के सदस्य
- (11) केन्द्रीय या राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार के संगठनों में वित्तीय योजना, कार्यक्रमण, बजटिंग, प्रचालन, लेखा, रिर्पोटिंग या लेखा परीक्षण के क्षेत्रों में 20 वर्ष का कार्यसाधक अनुभव टिप्पण 1 : केंद्रीय या राज्य या संघ राज्य सरकार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी ही आमेलन किए जाने के लिए पात्र होंगे।
- टिप्पण 2: (प्रतिनियुक्ति की अविध (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरिक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान विना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग के सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2013

- **G.S.R.** 774(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Members, Telecom Commission of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications & Information Technology, namely:-
- **1. Short Title and Commencement.—**(1) These rules may be called the Telecom Commission (Members) Recruitment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **4. Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
 - **5. Disqualification.** No person –
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- **6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **7. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or Non-selection post	Age Limit for Direct Recruits	Educational and other qualification required for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Member. (Finance)	1* *(2013) Subject to variation dependent on workload	GCS Group 'A' Gazetted Non- Ministerial	80000 (FIXED)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and Educational Qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by Direct Recruitment Or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By deputation (Including short-term contract) or absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract) or absorption) (A) Officers of Organized Group 'A' Finance and Accounts Services: (I)(A) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or	Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee for confirmation of absorbees:- 1. Cabinet Secretary —Chairman	Consultation with Union Public Service Commission necessary.
(B) Minimum two years of service in the Higher Administrative Grade (HAG) scale that is Rs. 67000-79000 with 3 per cent increment or equivalent rendered after appointment thereto on regular basis; and	2. Principal Secretary to Prime Minister — Member 3. Home Secretary — Member	
(II) Working experience of 20 years in Central Government or State Government, or in Organizations of Central or State Government, in the areas of Financial Planning, Programming, Budgeting, Operations, Accounting, Reporting or Auditing	 4. Secretary (Personnel), Department of Personnel and Training – Member 5. Secretary, Department of 	
OR	Telecom – Member	
(BB) Officers in Central Government or State Government or Union Territories or Semi Government (Statutory Bodies or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies or Recognized Research Institutions).		
(I)(A) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or		
(B) Minimum two years of service in the Higher Administrative Grade (HAG) scale that is Rs. 67000-79000 with 3 per cent increment or equivalent rendered after appointment thereto on regular basis; and		
(II) Possessing the following educational qualifications and experience:-		
(A) Master's Degree in Economics or Master of Commerce(M.Com) /Master of Business Administration (MBA) or Master's Degree in Business Administration with specialization in Finance from recognized University or Institution.		

OR

- (B) Members of the Institution of Chartered Accountancy or Institute of Cost and Works Accountants of India (ICWAI) or Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI).
- (II) Working experience of 20 years in Central or State Government, or in Organizations of Central or State Government, in the areas of Financial Planning, Programming, Budgeting, Operations, Accounting, Reporting or Auditing

NOTE: Officers working in Central or State or Union Territory Governments shall only be eligible for absorption.

NOTE 2: Period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

NOTE 3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F. No. 1-1/2010-Admn. I] NIRMALA DEV, Under Secy.